कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात पत्राँक थार / १५ न दिनाँक,(माती) कानपुर देहात, भारहार 2021

सेवा में.

अधिकृत प्रतिनिधि घाटमपुर ट्रांसिमशन लि० म0नं० ६४४ व ६४४ए, लखनपुर कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, विकास नगर, कानपुर

विषय:-

765 केंंगवीं। एकल पथ घाटमपुर-हापुड़ पारेषण लाइन के निर्माण हेत् कानपुर नगर वन प्रभाग में प्रभावित 0.624 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 33 वृक्षों / पौधों के पातन, कानपुर देहात वन प्रभाग में प्रभावित 6.0964 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.4928 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 13 वृक्षों / पौधों के पातन, औरैया वन प्रभाग में प्रभावित 3.8732 हे0 आरक्षित वन भूमि तृथा 0.4464 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 36 वृक्षों / पौधों के पातन, इटावा वन प्रभाग में प्रभावित 0.0324 हे0 आरुक्षित एवं 0.4348 हे0 संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 15 वुक्षों / पौधों के पातन, जनपद कन्नौज में 0.00 हे0, कासगंज वन प्रभाग में प्रभावित 0.7528 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 49 वृक्षों / पौधों के पातन, अलीगढ़ वन प्रभाग में प्रभावित 0.2176 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 50 वृक्षों / पौधों के पातन, बुलन्दशहर वन प्रभाग में प्रभावित 0.2688 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 36 वृक्षों / पौधों के पातन, एटा वन प्रभाग में प्रभावित 0.2624 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 43 वृक्षों /पौधों के पातन. मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4216 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 0.8184 हे0 फॉरेस्टरी डिक्शनरी मीनिंग (जंगल ढाक) के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 25 वृक्षों / पौधों के पातन तथा हापूड़ वन प्रभाग में प्रभावित 0.8345 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति अर्थात 16.5761 है0 वन भूमि के गैर बानिकी प्रयोग की अनुमति एवं कुल बाधक 308 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (Online Proposal No. FP/UP/Trans/42524/2019)

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या— 8बी / यू0पी० / 04 / 169 / 2020 / एफ०सी० / 1109, दिनांक 24.12.2020 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय.

मारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में प्रमावित विभिन्न वन प्रमागों की मंरिक्षत एवं आरिक्षत वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमित हेतु कितपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में दी गयी शर्तों के अनुपालन के क्रम में इस कार्यालय के पत्राँक 1780/14–1, दिनाँक 29.12.2020, प्रमागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रमाग, कानपुर के पत्राँक 26.12.2020, प्रमागीय वनिदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, इटावा का पत्राँक 1902/14–10–1, दिनाँक 26.12.2020, प्रमागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, इटावा का पत्राँक 1902/14–10–1, दिनाँक 26.12.2020, प्रमागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रमाग, मैनपुरी का पत्राँक 1696/14–1 दिनाँक 13.01.2021, प्रमागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रमाग, अलीगढ़ का पत्राँक 1982/Trans/42524/2020 दिनाँक 05.01.2021, प्रमागीय वनिष्ठारी, कासगंज वन प्रमाग, कासगंज का पत्राँक 1816/14–1, दिनाँक 08.01.2021, प्रमागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रमाग, वुलन्दशहर का पत्राँक 2315/14–10–1, दिनाँक 06.01.2021, प्रमागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रमाग, हापुड़ का पत्राँक 2308/14–1, दिनाँक 16. 01.2021 द्वारा माँगपत्र जारी किया गया। अधोहस्ताक्षरी को उक्त परियोजना के प्रस्ताव हेतु नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है अतैव उपरोक्त सन्दर्भित माँग पत्रों को समेकित कर समेकित माँग पत्र जारी किया जा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप समेकित माँग पत्र के संलग्नक के अनुसार वाँछित धनराशि (E-Payment Portal के माध्यम से) जमा कर बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं वचनबद्धता प्रमाण पत्र की मूल हस्ताक्षरित 03–03 प्रतियों सहित रसीद (आन—लाइन चालान की प्रति) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- बिन्दु संख्या—3 के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही वन भूमि के दोगुने क्षेत्रफल में दस वर्षों तक रखरखाव सिंहत क्षितिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 1,21,79,432/—(एक करोड़ इक्कीस लाख उन्यासी हजार चार सौ बत्तीस मात्र) की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (ऑन—लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- बिन्दु संख्या—4 के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) रू० 1,03,76,642/— (एक करोड़ तीन लाख छियत्तर हंजार छह सौ बयालिस मात्र) की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (आन—लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- बिन्दु संख्या—9 के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही वन भूमि के सापेक्ष पारेषण लाइन के नीचे चयनित स्थल पर बौने/औषधीय पौधा रोपण हेतु दस वर्षों तक रखरखाव सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये रू 69,74,303/—(उनहत्तर लाख चौहत्तर हजार तीन सौ तीन मात्र) की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (ऑन—लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

उपरोक्त सभी शर्तों के अतिरिक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख़्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

> (डा० ललित कुमार गिरि) प्रभागीय वनाधिकारी कानपुर देहात वन प्रभाग कानपुर देहात

पत्रांक /समदिनांकित।

प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल कानपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

> (डा० लितत कुमार गिरि) प्रभागीय वनाधिकारी कानपुर देहात वन प्रभाग कानपुर देहात

ABSTRACT OF NET PRESENT VALUE, COMPENSATORY AFFORESTATION & DWARF MEDICINAL PLANTATION TO BE DONE IN LIEU OF 16.5761 HA. FOREST LAND PROPOSED TO BE DIVERTED

| 111 | 44 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | Ch Ch | 4 | w | 2 | - | S. No. | | |
|----------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|--|------------------------------|---|---|
| 4 | Forest Division Hapur | Social Forestry Division Bulandshahar | Forest Division Kasganj | Social Forestry Division Aligarh | Social Forestry Division Etah | Forest Division Kannauj | Social Forestry Division Mainpuri | Social Forestry Division Etawah | Forest Division Auraiya | Forest Division Kanpur Dehat | Social Forestry Division Kanpur Nagar | Name of Forest Division | NPV CALCULATION & FINANCIAL OUTLAY | |
| 16.5761 | 0.8345 | 0.2688 | 0.7528 | 0.2176 | 0.2624 | 0 | 2.24 | 0.4672 | 4.3196 | 6.5892 | 0.624 | Total Forest Area (Ha.) | I & FINANCIAL | |
| | 626000 | 626000 | 626000 | 626000 | 626000 | 626000 | 626000 | 626000 | 626000 | 626000 | 626000 | Rate/ Ha. In Rs. | OUTLAY | Sec. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. |
| 10376642 | 522397 | 168269 | 471253 | 136218 | 164263 | 0 | 1402240 | 292468 | 2704070 | 4124840 | 390624 | NPV Amount in Rs. | | |
| 33 2184 | 1.669 | 0.5376 | 1,5056 | 0.4352 | 0.5246 | 0 | 4.48 | _ | 8.64 | 13.1784 | 1.248 | AREA PROPOSED FOR C.A. | COMPEI AFFORESTAT FINANCIA | |
| 12179432 | 698722 | 264269 | 807804 | 155650 | 318300 | 0 | 3090000 | 370905 | 3557353 | 2747182 | 169247 | C.A Amount in Rs. | COMPENSATORY Dwarf Plantation SCHEME & Medicinal COMPENSATORY Dwarf COMPENSATORY Dwarf | |
| 6974303 | 0 | 217310 | 452298 | 172210 | 305340 | 0 | 2775180 | 142500 | 1189982 | 1592183 | 127300 | Amount in Rs. | Dwarf Medicinal Plantation | |
| 29530377 | 1221119 | 649848 | 1731355 | 464078 | 787903 | 0 | 7267420 | 805873 | 7451405 | 8464205 | 687171 | Amount in Rs. | Total Financial Implications (NPV+C.A.+ D.M.P.) | |



कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, कानपुर दिनॉल, कानपुर, 2019_2020 पत्रांक वेववा/141

रोवा मे

अधिकृत प्रतिनिधि घाटमपुर ट्रांसमिशन लि० ६४४ एवं ६४४ए, लखनपुर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी

विषय:-

विकास नगर, कानपुर 765 कें.0वी एस0/सी0 घाटमपुर-हापुड पारेषण त्याईन के निर्माण हेतु कानपुर नगर वन प्रभागमें प्रभावित 0 624 हैं0 सरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रधाम एवं बाधक 33 पृक्षी/पीधी के पातन जानपुर देहा र वन प्रभाग में प्रभावित 6.0964 है0 आरक्षित बनभूमि तथा 0.4928 है0 सरक्षित बनभूमि के गैर वानिकी प्रधान एव वारक 36 वृक्षी / पीची के पालन, इटावा वन प्रनाम प्रभावित 0.0324 हैं0 आरक्षित एथा 0.4345 हैं0 संश्तित वनमूमि के गेर वासिकी प्रयोग एवं बावक 15 दूशी /पीची के पातन, जनपद कन्नील में 0.00 हैं0, कासगल वन प्रभाग में प्रभावित 0.7528 हैं0 संस्कृत भूमि के पैर वानिकी प्रयोग एवं बनार 49 वृक्षा/पोपा के पाटन असीमाद वन प्रभाग में प्रभावित 0.2176 हैं0 सरक्षित उपभूमि एवं बाधक 50 पुरति/पीधा के पारण मुलन्दशहर वन प्रमाग में प्रभावित 0.2688 हैं। संरक्षित वनभूमि के गेर वानिकी प्रवास एवं आया 36 वृंशों / पीयों के पातन एटा वन प्रभाग में प्रभावित 0.2624 हेंठ सरक्षित वनभूमि के गैर पानिकी प्रधान एव बायक 43 पृथ्वे/पोधी के पातन, मैनपुर इस प्रमाग में प्रभावित 14216 हेंग्र सरक्षित वनभूमि एवं 0,8184 फोरेस्टरी डिविसनरी मीनिंग (जगल बाक) के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 25 वृश्ते/पीधी के पातन तथा हायुद्ध वन प्रभाग में प्रभावित 0.8345 हैंठ सरवित के मेर वानिकी प्रयोग एवं बाधक oa यून्ते / पाँची क पालन की अनुमति अधीत कुल 16.5761 हैंव बनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं कुल गाउँ 308 वृक्षी / प्रीपी के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

पर्योवरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र राठमा-भारत सरकार 8वी / यूवर्पाव / 04 / 169 / 2020 / एक्व्रसीव / 1109 दिनाज 24 12 2020 1 (छायापति सलग्न) ।

भारत सरकार, पर्यावरण वन एव जनवायु परिवर्तन महास्य के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकारण के सम्बन्ध में जनपद कानपुर भगर की प्रभावित सरकित वज भूमि के गेर वानिकी प्रवाग की अनुमांत्र हेंगू कविषय शती के अधीन संद्वानित्र स्वीकृति प्रदान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में दी गयी शर्ती के अनुप्रतान हेत् बिन्दुबार निम्नलिखित धनराशि (E-Payment Portal के महादम से जना कर) एवं वचनवद्धता प्रमाण पंत वे । पूर हस्ताधरित 05-05 प्रतियो सहित रसीद (आन-लाइन दालान की प्रति) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1, बिन्दु संख्या-1 के अनुसार परियोजना में प्रभारित हो रही सरकित दल गृति की देखानिक रियति में कोई भी परिवर्तन नहीं

होगा सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाप यत्र प्रस्तुत करें।

बिन्दु संख्या-2 के सम्बन्ध में वधनवद्भता प्रमाण प्रथ प्रश्तृत को ।

3, बिन्दु संख्या—3 के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही संख्वित वन भूमि के दायुने क्षेत्रफल में दर्भ वधी तक सरहस्याव साहेश <u>शतिपुरक वृश्वारापण ततु धनराति E-Payment Portal</u> के मध्यम से कैम्या नई दिल्ली में जमा कराकर रामान् (ऑन-लाइन भाजान की पति) इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

 बिन्दु संख्या—4 के अनुसार परियोजना में जानपुर नगर में प्रभावित हो रही 0.624 हैं 0 सरकित वन भूनि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०पी०) रूठ 3.90,624/- (तीन लाख नधी हजार छ सी घीडीस मात्र) की धनराशि E-Payment Portal के मोध्यम से केम्पा, गई दिल्ली में प्रेगा कराकर रसीद (आन-लाइन चलान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध कराये। s बिन्दु संख्या-**s** से अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का दचनबद्धता प्रमाण यत्र प्रस्नुत करमें कि एनवरीवरीव की

धारतीत में यदि बदात्तरी होती है तो बड़ी हुई धनशकि प्रयोक्ता अनिकरण द्वारा जना की जायगी।

उपरोचत सभी शतों के अतिरिक्त सन्दर्भित पत्र में उत्तिनिक्षत सभी गर्ती (कम संख्या 01 से 24 तक) के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुरवष्ट परिपालन आख्या/वचनवद्धता प्रमाण पत्र तत्काल इस कार्यालय का उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, लाकि यन सरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने हेत् अग्रतार कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक- यथोपरि

(अरविन्द 'कुमार यादव) प्रभागीय निदशक

सुमाजिक द्यनिकी प्रमाग, कानपुर

/ समदिनांकित। पत्राक प्रतितिपे–गुट्य यन सरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रियत। प्रतितिपे-मुख्य वन सरक्षक, कानपुर मण्डल कानपुर को सूचनार्थ प्रेपित।

> (अरविन्द कुमार यादव) प्रमागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, कानपुर

Letter -dec. 2020/general/rajat

कार्यालय प्रमागीय वनाधिकारी; कानपुर देहात वन प्रमाग, कानपुर देहात पत्रोंक 1780 / 14-1 दिनाँक,(माती) कानपुर देहात, 29-12, 2020

सेवा में

अधिकृत प्रतिनिधि घाटमपुर ट्रांसमिशन लि0 म0र्न0 ६४४ व ६४४ए, लखनपुर कॉपरेटिव हाउशिंग सोसाइटी, विकास नगर, कानपुर

विषय:-

765 कें0वी0 एकल पथ घाटनपुर–हापुढ़ पारेवण लाइन के निर्माण हेतु कानपुर नगर वन प्रभाग में प्रभावित 0.624 हैं। संरक्षित वनमूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बावक 33 वृह्मी /पीघों के पातन, कानपुर देहात वन प्रभाग में प्रभावित 6.0964 है0 आरक्षित वन भूमि एवं 0.4928 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 13 वृज्ञों / पौठों के पातन. औरया वन प्रभाग में प्रभावित 3.8732 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 0.4464 हैं0 सेरक्षित यनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 36 दृशों / पौधों के पातन, इटावा वन प्रमाग में प्रभावित 0.0324 हैं0 आरक्षित एवं 0.4348 हैं0 संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बावक 15 वृक्षों / पीचों के पातन, जनस्पद कन्नीज में 0.00 हे0, कासगंज वन प्रभाग में प्रभावित 0.7528 हे0 संरक्षित वन मूमि के गैर वानिकी प्रवोग एवं बायक 49 दृशों / पौघों के पातन, अलीगढ़ वन प्रभाग में प्रभावित 0.2176 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बायक 50 दुर्कों / पीयों के पातन, बुलन्दशहर वन प्रभाग में प्रमादित 0.2688 हे0 संरक्षित दन भूनि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाद्यक 36 दूसों/पौधों के पातन, एटा वन प्रमाग में प्रमावित 0.2624 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 43 वृक्षों/पौधों के पातन, मैनपुरी वन प्रमाग में प्रभावित 1.4216 हें0 संरक्षित वन भूमि एवं 0.8184 हें0 फॉरिस्टरी डिक्शनरी मीनिंग (जंगल ढाक) के गैर यानिकी प्रयोग एवं बाधक 25 वृक्षों/पौधों के पातन तथा हायुड़ वन प्रभाग में प्रभावित 0.8345 हैं0 संरक्षित दन भूमि के गैर दानिकी प्रयोग एवं बाधक 03 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति अर्थात 16.5761 है0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं कुल बायक 308 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (Online Proposal No. FP/UP/Trans/42524/2019)

संदर्भः- भारत सरकार, पर्यावरण- वन एवं जलवायु परिवर्तन भंत्रालय की पत्र संख्या-हवी / यू०पी० / ०४ / १६९ / २०२० / एफ०सी० / ११०९ , दिनांक २४.१२.२०२० (छायाप्रति संतरन)।

महोदय,

मारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलबायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में जनपद कानपुर देहात की प्रमावित संरक्षित वन मूर्नि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कतिषय शर्तों के अधीन सैद्धानिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में दी गयी शर्तों के अनुपालन हेतु बिन्दुवार निम्नलिखित धनराशि (E-Payment Portal के नाध्यन से जमा कर) एवं वधनबद्धता प्रमाण पत्र की मूल हस्ताक्षरित 03-03 प्रतियों सहित स्सीद (आन-लाइन चालान की प्रति) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- बिन्दु संख्या—1 के अनुसार परियोजना में प्रमावित हो रही संरक्षित दन मूनि की वैधानिक स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा सम्बन्धी वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- बिन्दु संख्या-2 के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- बिन्दु संख्या—3 के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही 6.5892 हैंठ संरक्षित वन भूमि के दोगुने क्षेत्रफल अर्थात 13.
 1784 हैंठ-(फिशार वन ब्लॉक, बढमुरा रेन्ज, सामाजिक वानिकी प्रभान, इटावा) में दस वर्षों तक रखरखाव महित क्षितपूरक वृक्षारोपण हेतु कंठ 27,47,182 /—(सत्ताइस लाख सैतालिस हजार एक सौ बयासी मात्र) की धनराशि E-Payment Portal के माध्युम से कम्पा, नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (ऑन-लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- बिन्दु संख्या—4 के अनुसार परियोजना में —प्रमादित हो रही 6.5892 हैं संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) रू० 41,24,840/— (इकतालिस लाख चींबीस हजार बाट सौ चालीस मात्र) की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (आन—लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- बिन्दु संख्या—5 प्रयोक्ता अभिकरण इस आराव का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि एन०पी०वी० की धनराशि में यदि बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

- बिन्दु संख्या—६ के अनुसार के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि पारेषण लाईन का संरेखण इस प्रकार किया जाएगा कि इसमें काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम हो तथा पातन किये जाने वाले वृक्षों का पातन निर्धारित शुल्क जम्म करने के पश्चात वन विभाग की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही होगा।
- बिन्दु संख्या—7 क्षतिपूरक, एन०पी०वी० व अन्य वांछित धनराशि (मदवार विवरण सहित) E-Payment Portal के मध्यम से ही जमा कराकर रसीद (आन—लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- बिन्दु संख्या—8 सम्बन्धित जिलाधिकारी का इस्ताक्षारित FRA,2006 का निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
- बिन्दु संख्या—9 के अनुसार परियोजना में प्रमावित हो रही 6.5892 हैं0 संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष पारेषण लाइन के नीचे फिशर वन ब्लॉक, बढ़पुरा रेन्ज, सामाजिक वानिकी प्रमाग, इटावा में 5 हैं0 चयनित स्थल पर बीने/औषघीय पौधा रोपण हेतु दस वर्षो तक रखरखाव सड़ित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिये रू0 15,92,183/—(पन्दह लाख बानवे हजार एक सौ तिश्चासी मात्र) की धनशशि E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (ऑन—लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।
- बिन्दु संख्या—10 के अनुसार प्रयोवता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि उनके द्वारा पक्षियों के बदाव के लिए bird deflector उपलब्ध करवाया जाएगा जिसे पारेषण लाईन के upper conductor पर स्थापित किया जाएगा।
- बिन्दु संख्या—11 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आंशय का यचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि उनके द्वारा मंत्रालय के पत्रांक 7—25/2012—एफ.सी दिनांक 05.05.2014 एवं 19.11.2014' द्वारा जारी किए गए दिशा—निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
- बिन्दु संख्या—12 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें।
- बिन्दु संख्या—13 के अनुसार प्रयोक्ता अमिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि प्रस्ताव में दिये गये ले—आउट मैप में बिना भारत सरकार के पूर्वानुनित के परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- बिन्दु संख्या—14 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/ स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
- बिन्दु संख्या—15 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि निमाणं कार्य के दौरान स्थल पर कार्यस्त मजदूरों / स्टाफ को रसोई गैस / किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, वाकि निकटवर्ती वनों को क्षति न डों।
- बिन्दु संख्या—16 के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। प्रत्येक पिलर पर कमांक, डी०जी०पी०एस० निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पिलर से दूरी दर्शायी जायेगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा। इस आसय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- बिन्दु संख्या—17 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि परियोजना से संबंधित समान बुलाई के लिए एवं अन्य प्रयोजन के लिए अतिरिक्त मार्ग निर्माण नहीं किया जाएगा।
- बिन्दु संख्या—18 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण लीज अवधि से सम्बन्धित वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।
- बिन्दु संख्या—19 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि प्रत्यावर्ति वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- बिन्दु संख्या—20 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण इस आशंय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि भविष्य में प्रश्नगत प्रकरण में प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का हस्तान्तरण बिना भारत सरकार की अनुमित के नहीं किया जायेगा।
- बिन्दु संख्या—21 के अनुसार परियोजना में प्रमावित हो रही 6.5892 हैं0 संरक्षित वन भूमि के सापेक्ष पारेषण लाइन के नीचे बौने/औषधीय पौधा रोपण हेतु दस वर्षा तक रखरखाव सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिय धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (ऑन—लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।
- बिन्दु संख्या—22 प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित प्रकरण में किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंधन नहीं किया जाएगा के सम्बन्ध में वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

- बिन्दु संख्या—23 के अनुसार प्रयोक्ता अमिकरण इस आशय का यचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि भविष्य में वन एवं पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास हेतु-भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किये गये दिशा—निर्देश एवं नियमों का अनुपालन किया जायेगा।
- बिन्दु संख्या—24 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन आख्या परिवेश ई—पोर्टल पर अपलोड की जायेगी।

उपरोक्त सभी शतों के अतिरिक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित सभी शतों के परिपूर्ग एवं विन्दुवार सुरपष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवल् स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

> (ढांठ लिलत कुनार गिरि) प्रभागीय वनाधिकारी कानपुर देहात वन प्रभाग कानपुर देहात

पत्रांक /समदिनांकित।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनक को सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल कानपुर को सूचनार्थ प्रेपित।

> (उछ ललित कुमार गिरि) प्रमागीय यनाधिकारी कानपुर देहात वन प्रमाग कानपुर देहात .

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, औरैया वन प्रभाग, औरैया पत्रांक /862/14-10-1 दिनॉक:औरैया:दिसम्बर, 26, 2020

रोवा में,

वरिष्ठ प्रयन्धक घाटमपुर – आगरा ट्रांसमिशन लि० ६४४ व ६४४ए, कापरेटिय हाउसिंग सोसाइटी विकास नगर, कानपुर

प्रस्ताव सं0

FP/UP/TRANS/42524/2019

विषय:-

765 कें)वी) एकल पथ घाटमपुर-हापुड पारेषण लाइन के निर्माण हेतु कानपुर नगर वन प्रभाग की 0.624 हैं0 संरक्षित यनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बावक 13 वृक्षों/पौजों के पातन, कानपुर देहात वन प्रभाग में प्रभावित 6.0964 है0 आरक्षित वनमूमि तथा 0.4928है0 संरक्षित वनमूमि के ग्रेर यानिकी प्रयोग एवं बाधक 13 वृक्षों के पातन, औरेया वन प्रमाग में प्रमावित 3.6732 है0 आरक्षित वनमूनि तथा 0.4484है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं वाधक 36 वृक्षों के पातन, इटावा वन प्रमाग में प्रभावित 0.0324 हे0 आरंबित वनमूमि तथा 0.4348है0 संरंबित वनमूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 15 वृक्षों के पातन, जनपद कन्नीज में प्रमादित 0.00 है0, कासगंज वन प्रमाग में प्रमादित 0.7528 हैo संरक्षित वनमूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बायक 49 वृक्षों ∕ पीओं के पातन, अलीगढ़ दन प्रमाग में प्रभावित 0.2178हैं0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बायक 50 वृक्षीं/ पाँचों के पातन, बुलन्दशहर यन प्रभाग में प्रभावित 0.2688 है0 संरक्षित यनभूनि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बावक 36 वृक्षों / पींधों के पातन, एटा वन प्रभाग में प्रमावित 0.2824 हैं0 संरक्षित वनमूनि के गैर वानिकी प्रयोग एवं वायक 43 दृक्षों / पौधी के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रमावित 1.4216 हैं0 संरक्षित वननूनि एवं 0.8184 हैं। फॉरेस्टरी डिक्सिनरी मीनिंग (जंगल ढाक) के गैर वानिकी प्रयोग एवं बायक 25 वृद्धों /पौधी के मातन तथा हापुड वन प्रभाग में प्रभावित 0.8345 है0 संरक्षित वनमूर्गि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बायक 08 वृक्षों / पौर्चों के पातन अर्थात कुल 16.5761 है0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 308 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

1—मारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालयं की पत्र संख्या—8बी/ यू0पी0/04/169/2020/एफ0सी0/1109 दिनांक—24,12,2020

महोदय.

भारत सरकार, पर्यायरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयनत प्रकरण के सम्बन्ध में वन मूनि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कितपय शतों के अधीन सेद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में दी गयी शर्तों के अनुपालन हेतु विन्दुवार निम्नलिखित धनसशि E-Payment Portal (Parivesh Portal) के माध्यम से जमा करते हुये रसीद (ऑन-लाइन चालान की प्रति) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- 1. बिन्दु संख्या—3 के अनुसार परियोजना में औरया वन प्रमाग में प्रभावित हो रही 4.32 है0 वन भूनि के दोगूने क्षेत्रफल पर औरया वन प्रमाग की तहसील विधूना के मिरगवाँ वन ब्लाक (अछल्दा रेंज) में चयनित 8.64 है0 वन भूनि में दस वर्षा तक रखरखाव सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु का 35,57,353 / (पैतीस लाख सत्तादन हजार तीन सी तिरेपन रूपये गात्र) की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से कैन्या, नई दिल्ली में जगा कराकर रसीद (ऑन—लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- बिन्दु संख्या—04 के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही 4.32 है0 वन भूमि के एना पीठ वीठ की धनराशि के रूप में 27,04,070.00 (सत्ताइस लाख चार हजार सत्तार रूपये मात्र) की धनराशि E-Payment Portal के मध्यम से कम्पा, नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (ऑन—लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।
- 3. बिन्दु संख्या—09 के अनुसार परियोजना में प्रमावित हो रही 4.32 है0 वन भूमि पर बौने/औषधीय पौधारोपण एवं उसके दस वर्षों तक रखरखाव हेतु औरिया वन प्रमाग के मिरगवाँ वन ब्लाक (अछल्दा रेंज) में चयनित 3 है0 वनभूमि पर रोपण के लिये रू० 11,89,982.00/— (ग्यारह लाख नवासी हजार नौ सौ विवासी रूपये मात्र) की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (ऑन—लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

O"Ashwani 2020/Trafimae/Later 2/20-21 doc

उपरोक्त सन्दर्गित पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों के सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अग्रेतार कार्यवाही की जा सके।

> (सुदरेशा) प्रभागीय वनाधिकारी औरैया वन प्रभाग, औरैया

पत्रांक 🏂 ं रसमदिनांकित।

प्रतिलिपि— मुख्य वन संरक्षकं / नोडल अधिकारी उ००० लखनक को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— मुख्य वन संरक्षकं, कानपुर मण्डल कानपुर को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— प्रभागीय बनाधिकारी कानपुर देहात वन प्रभाग कानपुर देहात को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ं (सुंदरेशा) प्रभागीय वनाधिकारी औरेया वन प्रभाग, औरेया

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, इटावा पत्रांक 1902/14-10-1 दिनॉक, इटावा, दिसम्बर, 26, 2020

सेवा में,

वरिष्ठ प्रबन्धक घाटमपुर — आगरा ट्रांसमिशन लि0 644 व 644ए, कापरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विकास नगर, कानपुर आनलाइन प्रस्ताव संख्या— FP/UP/TRANS/42524/2019

विषय:-

765 कें0वी0 एकल पथ घाटमपुर-हापुड पारेषण लाइन के निर्माण हेतु कानपुर नगर वन प्रमाग की 0,624 है0 संरक्षित बनमूनि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 13 वृक्षीं/पौधों के पातन, कानपुर देहात वन प्रमाग में प्रभावित 6,0964 हें0 आरक्षित वनभूमि तथा 0,4928हें0 शंरक्षित वनमूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बावक 13 वृक्षों के पातन, औरेया वन प्रभाग में प्रमादित 3.8732 हैं0 आरक्षित यनमूमि तथा 0.4464हैं0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बावल 36 कृष्टों के पातन, इटावा वन प्रभाग में प्रभावित 0.0324 है0 आरक्षित वनभूमि तथा 0.4348हैं0 संरक्षित वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 15 वृक्षों को पातन, जनपद करनीज में प्रभावित 0.00 हैं0, कासगंज वन प्रभाग में प्रभावित 0.7528 हैं0 संरक्षित वनभूमि के मेर वानिकी प्रयोग एवं बायक 49 वृक्षी/पौघों के पातन, अलीगढ़ वन प्रमाग में प्रभावित 0.2176है0 संरक्षित वनभूमि के गेर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 50 वृक्षी/ पीधों थे पातन, पुलन्दशहर वन प्रभाग में प्रभावित 0.2688 है0 सरक्षित वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 36 वृक्षी/पीधी के पातन, एटा वन प्रभाग में प्रभावित 0.2624 हैं0 संरक्षित चनभूमि वो गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 43 वृक्षी/पीधों के पातन, मैनपुरी वन प्रमाग में प्रभावित 1.4210 हें। संस्कृत बनभूमि एवं 0.8184 हें। फॉरेस्टरी डिक्सिनरी मीनिंग (शराल बाक) के गैर वानिको प्रयोग एवं बाधक 25 वृक्ती/पीधी के पातन तथा हापुर वन प्रभाग में प्रभावित 0.8345 हें। संरक्षित वनसूनि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षी/ पीधों के पातन अर्थात कल १८,5761 हैं। इनलूनि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 308 दशों / पीधी के पातन की अनुगति के सम्बन्ध में।

संदर्भः- 1-मास्त सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या-8बी/ पूर्वीव/04/169/2020/एकवसीठ/1109 दिलांक-24.12.2020

महोदय.

भारत सरकार, पर्यावरन वन एवं जलवायु धरिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विश्वयम्त प्रकरण के सम्बन्ध में वन भूमि के गैर वानिको प्रयोग की अनुमति हेतु कितपय शर्तों के अधीन सेद्वारितक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में दी गयी शर्तों के अनुपालन हेतु बिन्दुवार निम्निसिखित धनराशि E-Payment Portal (Parivesti Portal) के मक्रयम से जमा करते हुये रसीद (आन-लाइन चालान की प्रति) उपलब्ध कराना सुनिहिक्ता करें।

 बिन्दु संख्या—3 के अनुसार परियोजना ने इटाबा बन प्रधाम में प्रमावित हो रही 0.4672 है0 वन भूमि को दोगुने क्षेत्रकल पर इटाबा वन प्रभाम की तहसील क्वारनगर को इक्तांत वन बताक (लखना रेज) में चयनित 01 है0 वन भूमि में दस वर्षों तक रखरखाद सहित क्षतिपृतक दूसारोपन हेतु रू० 3,70,905/—(तीन लाख सत्तर हजार नी सी पाँच रूपये मात्र) की घनराशि E-Payment Portal के माध्यम से केम्पा, नई दिस्ती में जमा कराकर रसीद (अनि—साइन घासान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

 बिन्दु संख्या-04 के अनुसार परियोजना में प्रमावित हो रही 0.4672 है0 वन मृति के एन0 पी0 वी0 की धनराशि के रूप में <u>2.82,460.00 (दो लाख बानवे हजार बार सौ अरसठ रूपये गात्र)</u> की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (ऑन-लाइन

चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

3. बिन्दु संख्या—09 के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही 0.4672 हे0 वन भूमि पर बाते/आषधीय पाँधारोपण एवं उसके दस वर्षो तक रखरखाव हेतु इटावा वन प्रभाग के इकतीर वन ब्लाक लखना रेंज में चयनित 0.40 हे0 वनभूमि पर रोपण के लिये रू0 1.42,500.00/— (एक लाख ब्यालीस हजार पांच सी रूपये मात्र) की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (ऑन—लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित सभी शतों के सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी किये

जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(राजेश सिंह वर्मा) प्रभागीय निदेशक, सामाजिक ब्लानिकी प्रभाग, इटावा

पत्रांक /समदिनांकित।

प्रतितिपि- मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतितिपि- मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल कानपुर को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रभागीय बनाधिकारी कानपुर देहात वन प्रभाग कानपुर देहात को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यशाही हेत प्रेषित।

> (राजेश सिंह वर्गा) प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग इटावा

कार्यालय प्रभागीय निवेशक शामाजिक यानिकी प्रभाग,गैनपुरी पत्रांक 1896 /14-1 विनांक:गैनपुरी:जनवरी 13,2021

सेवा में.

वरिष्त प्रयम्बातः, पाटमपुर ट्रांसनिशन हिता हनत च हततप्, कागरेटिय हात्तरिम सोसाहट विकास नगर, कानपुर

विषय:-

765 केंंंंगी0 एकल पथ पारमपुर-ए।पुरा पारेषण लाइन के निर्माण हेतु कानपुर नगर पन प्रभाग की 0.024 ऐठ संरक्षित पनगृति के गैर यानिकी प्रयोग एवं साधक 33 पृथों / पीचों को पातन, कानपुर देहात पन प्रभाग में प्रभावित 6.0964 हैंठ आरबित घेनन्ति राष्ट्रा 0.4028है0 संस्क्रींस यनभूमि के गैर वानिन्ति प्रयोग एवं मायक 13 कुतों के पातन, औरेया यन प्रभाग में प्रभावित 3,8732 है। आरवित यनमृति तथा 0,4464है। संस्थित यनभूमि के गैर गानिकी प्रयोग एवं याधक 30 वृक्षों के प्रतन, इटावा चन प्रभाग में प्रभावित 0.0324 हैं0 आरक्षित यनगृषि तथा 0.4348हैं0 संरक्षित वनगृषि के गैर वानिकी प्रयोग एवं वायक 15 कृशों के पातन, जनपद कल्मीज में प्रभावित 0.00 है0, कासगंज यम प्रभाग में प्रभाविस 0.7528 है0 संरक्षित यनभूनि के मेर वानिकी प्रयोग एवं बाचक 49 वृक्षों / पौर्धों के पातन, अलीगढ का प्रभाग में प्रमावित 0.2176ई0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 50 वृक्षों / पौधों के पातन, बुलन्दशहर पन प्रभाग में प्रभावित 0.2688 हैं0 संरक्षित यनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं वायक 38 वृक्षों / पींधों के पातन, एटा यन प्रभाग में प्रभावित 0.2624 हें0 संरक्षित वनमूनि के गैर बानिकी प्रयोग एवं बाधक 43 वृक्षों / पीयों के पातन, मैनपुरी वन प्रमाग में प्रभावित 1, 4216 है0 संरक्षित वनभूमि एवं 0.8184 है0 फॉरेस्टरी ढिक्सिनरी मीनिंग (जंगल ढाक) के गैर वानिकी प्रयोग एवं वाधक 25 पृक्षों/पीयों के पातन तथा हापुड वन प्रमाग मैं प्रभावित 0.8345 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं वायक 08 वृक्षों / पाँचों के पातन अर्थात कुल 18.5761 हैं0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल वासक 303 वृतों / पौधों के पातन की अनुपति के सम्बन्ध में।

संदर्ग:-

मारत सरकार, पर्यावरण यन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या-8वी / यू0पी0/04/169/2020/एफ0सी0/1109 दिनांक-24,12,2020

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र हारा विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में वन भूमि के गैर यानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कतिपय शतों के अधीन संद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में दी गयी शतों के अनुपालन हेतु विन्दुवार निम्नतिखित धनराशि E-Payment Portal (Parivesh Portal) के माध्यम से जमा करते हुये रसीद (आन-लाइन चालान की प्रति) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- Compensatory a afforestation shall be taken up by the Forest Department over 33.2184 ha. degraded forest land (as detailed below) at the cost of the user agency.

| SI, NO. | Name of Forest Division | CA proposed in Area (Ha.) | Details of CA |
|------------|----------------------------|------------------------------|---|
| - | Kanpur Nagar | 1.248 ha. | Rampur Land Bank Tehsil-Ghatanipur District Kanpur Nagar |
| 2 | Kanpur Dehat | 13.1784 ha. | Fisher Forest Block Etawah Range |

land trans.

| | Total | 33.2184 | |
|----|---------------|------------|---|
| 11 | Hapur | 1.669 ha. | Forest block Riwara in Village Riwara of Shikarpur Telisil-Bulandshahar |
| 10 | Bulandshahar | 0.5376 hn. | Forest block Riwara in Village Riwara of Shikarpur Range-Bulandshahar |
| 0 | Aligath | 0.4352 ha. | Compartment-nil, Village Mohshanpur of Atrauli Tehsil Aligarh Forest block Aligarh |
| \$ | Kashiramnagar | 1.5056 ha. | 100 - 6 - 15 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 - 17 |
| 7 | Eigh | 0.5246 ha. | Santhari Forest Block Etah Range Compartment-nil, Village Bankner, Nadrai and Kinava |
| 6 | Majopuri | 4.48 ha. | Compartment-Pattarpur van 1966s, 1966s |
| 5 | Kannanj | 0 | Compartment-Paharpur Van Block, Tehsil karhal |
| 4 | Etawah | I ha. | Forest Block-Ilnour in village liknour of Chakamagar Tehsil in Etawah, Lakhna Range |
| 3 | Aumiya | 8,64 ha. | Forest Block-Mirgawan in village-Mirgawan of Tehsi Bidhuma |

As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.

- 3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years. बिन्दु संख्या—3 के अनुसार परियोजना में बैनपुरी बन प्रमाम में प्रमावित हो रही 2.24 है0 बन मूनि के दोगुने क्षेत्रफल अमंदि 448 है0 बन मूनि में दस बर्च तक रखरखाब सहित धतिपूरक पृक्षारोषण हेतु रूठ 3000000/- (जीन लाख नमें हजार) की पनवाधि E-Payment Portal के मध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जम्म कराकर रसीद (ऑन-लाइन मालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 16.5761 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.11) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard. विन्दु संख्या—04 के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही 2.24 हें वन मृगि से एन० पीठ पीठ की धनराशि के लग में 1402240/— (धीदह लाख दो हजार दो सी <u>चालीस</u>) की धनराशि E-Payment Portal के मध्यन से कैन्या, गई विल्ली में जम्म कराकर रसीद (ऑन—लाइन खालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।
- Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
- User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State

land trans.

Servet um Gentionne

Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.

- All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal
- B. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
- 9. The User agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicine plants) in right of way under the transmission line and deposit the cost for execution of the scheme to the State Forest Department. दिन्दु संख्य-०० के अनुसार परियोगात में प्राणित के गति 1,4216 के पन भूने पर कीने/अभिपीय पीपालेक्च एवं पराके एवं वर्गों तक स्वरकाय हेतु एक 2775100/- (स्वयार्थ साथ निवस्तार हजार एवं सी अस्ती) की मनवानि E-Payment Portal के मारान से केम्म, नई दिल्ली में जान करावार स्वीद (औन-एसइन पालान की पति) इस कार्यालय की प्राथलय करावे।
- The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.
- The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014.
- User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
- The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
- 14. No labour camp shall be established on the forest land.
- 15. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
- 16. The boundary of the diverted forest land shall be sultably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
- No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
- 18. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
- The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
- The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
- Scheme of plantation of medicinal (dwarf plants) below the transmission line in Hapur Division needs to be submitted and money for the same needs to be deposited in CAMPA.
- Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation)
 Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/201 7-FC
 dt 29/01/2018.

land trans

- 23. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
- 24. The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों के सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

> (अखिलेश पाण्डेय) प्रमागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी

land team

Bernet att Carticares

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, एटा पत्रांक /689 /14-10-1 दिनॉक, एटा, जनवरी, (२, , 2021

सेवा में.

्रवरिष्ठ प्रबन्धक धाटमपुर ट्रांसमिशन लि० 644 व 644ए, कापरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विकास नगर, कानपुर

आनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/TRANS/42524/2019

विषय:-

765 के०वी० एकल पथ घाटमपुर-हापुड पारेषण लाइन के निर्माण हेतु कानपुर नगर वन प्रभाग की 0.624 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 33 वृक्षों/पौधों के पातन, कानपुर देहात यन प्रभाग में प्रभावित 6.0964 है0 आरक्षित यनभूमि तथा 0.4928है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 13 वृक्षों के पातन, औरेया वन प्रभाग में प्रभावित 3.8732 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 0.4464हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 36 वृक्षों के पातन, इटावा वन प्रभाग में प्रभायित 0.0324 है0 आरक्षित वनभूमि तथा 0.4348है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 15 वृक्षों के पातन, जनपद कल्नीज में प्रमावित 0.00 है0, कासगंज वन प्रभाग में प्रभावित 0.7528 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 49 वृक्षों / पौधों के पातन, अलीगढ वन प्रभाग में प्रभावित 0.2176हे0 संरक्षित वनभूनि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 50 वृक्षों / पौधों के पातन, बुलन्दशहर वन प्रभाग में प्रनावित 0.2688 है0 संरक्षित बनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 36 वृक्षों / पौधों के पातन, एटा वन प्रभाग में प्रभावित 0.2624 हैं0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 43 वृक्षों / पौधों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4216 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं 0. 8184 हैं। फॉरेस्टरी डिक्सिनरी मीनिंग (जंगल ढाक) के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 25 वृक्षों / पौधों के पातन तथा हापुड वन प्रभाग में प्रभावित 0.8345 है0 संरक्षित वनमूनि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों / पौधों के पातन अर्थात कुल 16.5761 है0 वनमूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 308 दृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:--

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय .की पत्र संख्या-६बी/ यू0पी0/04/169/2020/एफ0सी0/1109 दिनांक-24,12,2020

महोदय.

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र हारा विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कतिपय शर्तो के अधीन सँद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में दी गयी शर्तो के अनुपालन हेतु बिन्दुवार निम्नलिखित धनराशि E-Payment Portal (Parivesh Portal) के माध्यम से जमा करते हुये रसीद (आन-लाइन चालान की प्रति) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- 1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
- Compensatory a afforestation shall be taken up by the Forest Department over 33.2184 ha. degraded forest land (as detailed below) at the cost of the user agency.

| SI. NO. | Name of Forest Division | CA proposed in Area (Ha.) | Details of CA |
|------------|----------------------------|------------------------------|---|
| 1 | Kanpur Nagar | 1.248 ha, | Rampur Land Bank Tehsil- Ghatampur District Kanpur Nagar |
| . 2 | Kanpur Dehat | 13.1784 ha. | Fisher Forest Block Etawah Range |

| | Total | 33.2184 | |
|----|---------------|------------|---|
| 11 | Hapur | 1.669 ha. | Forest block Riwara in Village Riwara of Shikarpur Tehsil-Bulandshahar |
| 10 | Bulandshahar | 0.5376 ha. | Forest block Riwara in Village Riwara of Shikarpu Range-Bulandshahar |
| 9 | Aligarh | 0.4352 ha. | Compartment-nil, Village Mohshanpur of Atrauli Tehsil Aligarh Forest block Aligarh |
| 8 | Kashiramnagar | 1.5056 ha. | Compartment-nil, Village Bankner, Nadrai and Kinava Tehsil Kasganj |
| 7 | Etah | 0.5246 ha. | Santhari Forest Block Etah Range |
| 6 | Mainpurl | 4.48 ha. | Compartment-Paharpur Van Block, Tehsil karhal |
| 5 | Kannauj | 0 | • |
| 4 | Etawah | 1 ha. | Forest Block-linour in village liknour of Chakarnagar Tehsil in Etawah, Lakhna Range |
| | Auraiya | 8.64 ha. | Forest Block-Mirgawan in village-Mirgawan of Tehsii-Bidhuna |

As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.

- 3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years. बिन्दु संख्या-3 के अनुसार परियोजना में एटा वन प्रभाग में प्रशादित हो नहीं 0.2024 हैं0 वन भूमि के दोगुने क्षेत्रकल पर एटा वन प्रभाग की वन ब्लाक (एटा रेंज) में चवनित 0.5246 हैं0 वन भूमि के दोगुने क्षेत्रकल पर एटा वन प्रभाग की वन ब्लाक (एटा रेंज) में चवनित 0.5246 हैं0 वन भूमि में दस वर्षों तक रखरखाय सहित क्षतिपूरक वृक्षारोधम हेतु सо 3.18.300 ✓-(शीन लाख अवुरह हजार तीन शी माद्र) की घनराशि E-Payment Portal के माध्यम से धीन्या, नई दिल्ली में जला कराकर एशीद (ऑन-लाइन घालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
 - 4. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 16.5761 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.11) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard. किन्नु संख्या-04 के अनुसार परियोग्जन में प्रमादित हो नहीं 0.2024 है। यन भूभि के एनव बीठ बीठ की धनशक्ति में स्था में 1,64,200.00 (एक साख भीसठ हवार दो भी शिरेशठ भाग्र) मी धनशक्ति E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराकर स्तीद (ऑन-लाइन भासान की प्रति) हरा कार्यालय को सम्बन्ध मारावें।
 - Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
 - User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and

- the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest
- 7. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal
- 8. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
- 9. The User agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicine plants) in right of way under the transmission line and deposit the cost for execution of the scheme to the State Forest Department. बिन्दु संख्या—०० के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही 0.2624 है0 यन भूमि पर बोने/आंबधीय पीधारोपण एवं उसके वस वर्षो तक रखरखाय हेतु एटा दन प्रभाग के एटा रेंज में चयनित 0.2624 हे0 वनभूमि पर रोपण के लिये रू0 <u>3,05,340.00/- (तीन लाख पॉय</u> हजार तीन सौ चालीस मात्र) की धनराशि E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (ऑन-लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
 - 10. The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.
 - 11. The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014.
 - 12. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
 - 13. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
 - 14. No labour camp shall be established on the forest land.
 - 15. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
 - 16. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
 - 17. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
 - 18. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
 - 19. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
 - 20. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
 - 21. Scheme of plantation of medicinal (dwarf plants) below the transmission line in Hapur Division needs to be submitted and money for the same needs to be deposited in CAMPA.
 - 22. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/201 7-FC dt 29/01/2018.
 - 23. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
 - 24. The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/l.

उदल प्रकरण में 765 के0वी0 एकल पथ घाटमपुर-हापुड पारेषण लाइन के निर्माण हेतु एटा वन प्रभाग में प्रभावित 0.2624 है0 एवं उस पर अवश्थित 43 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार के उन्त संदर्भित पत्र के माध्यम से निर्गत की जा चुकी है। उन्त प्रस्ताव में सम्मलित बाधक वृक्षों/पौधों का विवरण निम्नानुसार है।

| | | वृक्षों की सं0 (गर्ध >30 से0मी0) |
|---------|------|----------------------------------|
| कम सं0 | जनपद | |
| 5000000 | | 43 |
| | एटा | नंत्रक स्वयं संख्या |

छपान:— बाधक वृक्षों के छपान हेतु धनशशि (प्रमुख वन संख्यक, उ०प्र० लखनऊ के प्रत्रांक—प−105/16−57 (लाट) दि० 23−9−2014 के बिन्दु सं०−2 में हुए संशोधन के अनुसार रू० 10/− प्रति वृक्ष के आधार पर) 43 वृद्ध/पीधे वर 10/− रू० प्रति वृद्ध/पीधे) रू० 430/− का बैंक ड्रापट जो कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा के नाम देय हो प्रस्तुत करें।

प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्ती का पूर्ण एवं संतोषजनक अनुपालन प्राप्त होने पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्ताव की विधिवत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

कृपया उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन करने का कष्ट करें ताकि शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित की जा सकें। अनुपालन आख्या के उपरान्त ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार द्वारा विधियत् स्वीकृति जारी की जायेगी।

> भवदीय, (अखिलेश पाण्डेय) प्रभागीय निदेशक, साराजिक यानिकी प्रभाग, एटा

पत्रांक / दिनांकित। प्रतितिपि— मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रतितिपि— वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अर्खिलेश पाण्डेय) प्रभागीय निदेशक. सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ । पत्रांक । १९६२ / Trans/42524/2020,अलीगढः दिनांकः जनवरी, ०८८, 2021

रोवामें.

अधिकृत प्रतिनिधि, घाटमपुर ट्रांसिमशन लाइन, 644 एवं 644 ए, लखनपुर, कोआवरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विकास नगर. कानपुर।

(ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Trans/42524/2020)

घाटमपुर ट्रांसिमशन लिमिटेड द्वारा निर्माणधीन 765 के०पी० एस०/सी० घाटमपुर-हापुड़ विषय:-पारेषण लाइन के निर्माण हेतु अलीगढ़ वन प्रमाग में प्रगावित 0.2176 हैं) संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बावक 50 वृक्षों / पौद्यों के पातन की अनुमति के संबंध में।

भारत रारकार, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांवा सन्दर्भः 8वी/यूपी/04/168/2020/एक0सी0/1109 दिनांक 24.12.2020 एवं मुख्य वन संस्थक/नोंअल अधिकारी, उ०प्र० लखनक का पत्रांक 11सी'—1520/FP/UP/TRANS/42524/2019 दि० 28.12.2020

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र), लखनऊ के जपरोक्त संबर्गित पत्र हारा घाटमपुर ट्रांसमिशन लिगिटेड हारा निर्माणधीन 765 के0वी0 एसo/सीo घाटमपुर—हापुड पारेषण लाइन के निर्माण हेतु अलीगढ़ वन प्रभाग में प्रगादित 0.2178 है0 संरक्षित वनमूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बावक 50 वृक्षों / पांचों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति कतिपय शतों के अधीन दी गई है। उनत पत्र में दी गत्री शर्तों के अनुपालन एवं निर्देशों के कब में आपसे निम्नानुसार धनराशि एवं शर्तों सम्बन्धी कार्यवाही /प्रमाण पत्र 05 प्रतियों में उपलब्ध कराने की मांग की जाती है।

शर्त सं0-1: प्रकरण में इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि— Legal status of the forest land shall remain unchanged.

शर्त सं0−3: प्रयोगता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनभूमि के दुगने अवनत वनभूमि पर (0.2176x2= 0.4352ha.) अर्थात 0.4352 हे० पर <mark>श्रतिपूरक वृक्षारोपण</mark> एवं 10 वर्षों तक स्टारकाव हेतु आवश्यक धनराशि रू—<mark> 155650/— (एक लाख प्रयम्न हजार छः स</mark>ौ प्रसास मात्र) (वर्तमान दशै को समहित कस्ते हुए यथासंशोधित) ई-मोर्टन द्वारा उत्पन्न चालान द्वारा कैम्पा, नई दिल्ली में जमा

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत एवं निर्धारित दरों के अनुसार माननीय उच्चतन न्यायालय के रिट पिटीशन (सिवित) 202∕1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या 56स में पारित आदेश दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5-1/1998-एफ०सी० (Pt.II) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये निर्देशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य <mark>(एन०गी०मी०)</mark> की धनशांति 6,26,000/- की दर से 0.2176 X 6,26,000 = 1,36,218.00 (एक लाख छत्तीस हजार दो सी अठ्ठारह मात्र) प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रकट्यन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में ई—पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से जमा कर Online Payment History की प्रति उपलब्ध कराये।

ErdS.01.2020 Compliance internalise

इस आशय का वचनवद्धता प्रगाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "Additional amount of the NPV of the शर्त सं0-5: diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency" शर्त सं0-6: इस आश्रय का वचनवद्भवा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि "User agency shall restrict the felling of trees to minimum numer in the diverted forest land and the trees shall by felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department." शर्त रां0-7: All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in/) शर्ल सं0-8: The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector. इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण यत्र प्रस्तुत वन्रें। शर्त सं0-9: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे (Right of way) बौने पीघों (मुख्यतः औषधीय पौधें) के रोपण एवं 10 वृक्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू-<mark> 1,72,110/-</mark> (एक लाख बहत्तर हजार एक सौ दस मात्र) (वर्तमान दरों को समहित करते हुए यथासंशोधित) ई–पोर्टल द्वारा उत्पन्न वालान द्वारा कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी। शर्त सं0-10: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वयनवद्धता प्रमाण-पत्र 05 प्रतियों में (मूल हरताक्षर सहित) प्रस्तुत कियां जाये कि "The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avold bird hits. शर्त सं0-11: प्रयोवता अभिकरण द्वारा इस आशय का वधनवद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें कि— The User Agency shall comply with the guidlenes for lying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05.05.2014 & शर्त सं0 12: User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable. शर्त सं0-13: प्रयोक्ता अभिकरण हारा इस आशय का वयनवद्धता प्रमाण पत्र कि प्रस्ताव में दिए गए ले आउट मैप में बिना भारत सरकार के पूर्वानुमति नहीं किया जाएगा। शर्त सं0-14: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्<mark>षता</mark> प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि प्रस्तावित वनभूमि पर कोई लेक्र कैम्प की स्थापना नहीं किया गया जायेगा। शर्त सं0-15: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Department Corporation or any other legal source of alternate fuel. शर्त स0-16: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. शर्त सं0-17: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work. शर्त सं0-18: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनयद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less. E/MS.BL 2021 Cherplance letters due

शर्त सं0-19: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आश्रय का ययनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

शर्त सं0-20: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आराय का यचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि The forest land proposed to be diverted shall under no dircumastance be transferred to any other agencies, department or persom without prior approval of Govt. Of India.

शतं सं0-22: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आराय का ययनव्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि Violation of any of these conditions will amount to violation of forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&cc Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29.01.2018.

शर्त सं0-23: प्रयोगता अभिकरण द्वारा इस आशय का चयनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & Wildlife.

ষার্ব বাত-24: The compliance report shall be uploaded on e-portal (http://parivesh.nic.in//)

उक्ता प्रकरण में घाटमपुर ट्रांसमिशन लिगिटेड द्वारा निर्माणधीन 765 केंद्रवीत एसत/त्तीत घाटमपुर-श्रमुड पारेषण लाइन के निर्माण हेतु अलीगढ़ वन प्रभाग में प्रभावित 0.2176 हेंत संस्थित वनभूमि के गैर मानिकी प्रयोग एवं बावक 50 वृद्यों/पौद्यों के पत्तन की सैद्धानिक स्वीकृति भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र के गाध्यम से निर्मत की जा मुकी है। उक्त प्रस्ताव में सम्मलित बाधक वृक्षों/पौद्यों का विवरण निम्नानुसार है।

| क्म | जनपद | दूसों की शंव (गर्थ >30 रोवगीव) |
|-----|-------|--------------------------------|
| ₹10 | | |
| 1 | अलीगड | 50 |

छपानः— बाधक गूथों के छपान हेतु धनराशि (प्रमुख वन संरक्षक, उ०४० लखनऊ के पत्रांक-प-105/16-57 (शाद) दि० 23-9-2014 के बिन्दु सं0-2 में हुए संशोधन के अनुसार रूठ 10/- प्रति वृक्ष के आधार पर) की दूस/पीधे वर 10/- रूठ प्रति वृक्ष/पीधे) रूठ 500/- का बैंक ख़पट जो कि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग; अलीगढ़ के नाम देथ हो प्रस्तुत करें।

क्षया उत्तिखित समस्त शर्तों का अनुपालन अतिशीघ करने का कष्ट करें ताकि शर्ता के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुरपष्ट अनुपालन आख्या मारत सरकार को प्रेषित की ज्ञा-सके। अनुपालन आख्या के उपरान्त ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीक्ति जारी की जायेगी।

> (दिवाकर कुमार वीराष्ट्र) प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक / दिनांकित। प्रतितिपि:- वन संस्ताक, अलीगढ़ कृता, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेपित।

> (दिवाकर कुमार वशिष्ठ) प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज

सर्कुलर रोड, उर्मिला कोल्ड स्टोर के सामने, कासगंज, Email:dfokasganj@gmail.com phone 05744-247550 पत्रॉकः 167/6 // प दिनॉक, कासगंज, जनवरी, ७८ 2021

सेवा में.

वरिष्ठ प्रबन्धक घाटमपुर ट्रांसमिशन लि0 644 व 644ए, कापरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विकास नगर, कानपुर

आनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/TRANS/42524/2019

विषय:-

765 के0वी0 एकल पथ घाटमपुर-हापुड पारेषण लाइन के निर्माण हेतु कानपुर नगर वन प्रभाग की 0.624 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोंग एवं बाधक 33 वृक्षों / पौधों के पातन, कानपुर देहात वन प्रभाग में प्रभावित 6.0964 हे० आरक्षित वनभूमि तथा 0.4928है० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 13 वृक्षों के पातन, औरेया वन प्रभाग में प्रभावित 3.8732 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 0.4464 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 36 वृक्षों के पातन, इटावा वन प्रभाग में प्रभावित 0.0324 हे0 आरक्षित वनभूमि तथा 0.4348 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 15 वृक्षों के पातन, जनपद कन्नौज में प्रभावित 0.00 हे0, कासगंज वन प्रभाग में प्रभावित 0.7528 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 49 वृक्षों / पौधों के पातन, अलीगढ वन प्रमाग में प्रभावित 0.2176 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 50 वृक्षों / पौधों के पातन, बुलन्दशहर वन प्रभाग में प्रभावित 0.2688 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 36 वृक्षों / पौधों के पातन, एटा वन प्रभाग में प्रभावित 0.2624 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 43 वृक्षों / पौधों के पातन, मैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4216 है0 संरक्षित वनभूमि एवं 0.8184 है0 फॉरेस्टरी डिक्सिनरी मीनिंग (जंगल ढाक) के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 25 वृक्षों / पौधों के पातन तथा हापुड वन प्रभाग में प्रभावित 0.8345 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों/ पौधों के पातन अर्थात कुल 16.5761 है0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 308 वृक्षों / पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्गः-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या—8बी/ यू0पी0/04/169/2020/एफ0सी0/1109 दिनांक—24.12.2020

महोदय.

भारत सरकार, पर्यावरण यन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कतिपय शर्तों के अधीन सैदान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में दी गयी शर्तों के अनुपालन हेतु बिन्दुवार निम्नालिखित धनराशि E-Payment Portal (Parivesh Portal) के माध्यम से जमा करते हुये रसीद (आन-लाइन घालान की प्रति) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Legal status of the forest land shall remain unchanged.

 Compensatory a afforestation shall be taken up by the Forest Department over 33.2184 ha. degraded forest land (as detailed below) at the cost of the user agency.

REDEN THEM Land Dataley M.S. w. .

| 7 | | | West |
|-----|----------------------------|------------------------------|---|
| SI. | Name of Forest Division | CA proposed in Area (Ha.) | Details of CA |
| 1 | Kanpur Nagar | 1.248 ha. | Rampur Land Bank Tehsil-Ghatampur District Kanpur Nagar |
| 2 | Kanpur Dehat | 13.1784 ha. | at J. Ctawah Range |
| 3 | Auraiya | 8.64 ha. | Forest Block-Mirgawan in Village Williams |
| 4 | Etawah | 1 ha. | Forest Block-Ilnour in village liknour of Chakarnagar Tehsil in Etawah, Lakhna Range |
| 5 | Kannauj | 0 | |
| 6 | Mainpuri | 4.48 ha. | Compartment-Paharpur Van Block, Tehsil karhal |
| 7 | Etah | 0.5246 ha. | Santhari Forest Block Etah Range |
| 8 | Kashiramnagar | | Compartment-nil, Village Bankner, Nadrai and Kipaya Tehsil Kasgani |
| 9 | Aligarh | 0.4352 ha. | Compartment-nil, Village Mohshanpur of Atrauli Tehsil Aligarh Forest block Aligarh |
| 10 | Bulandshahar | 0.5376 ha. | Forest block Riwara in Village Riwara of Shikarpur Range-Bulandshahar |
| 11 | Hapur | 1.669 ha. | Forest block Riwara in Village Riwara of Shikarpur Tehsil-Bulandshahar |
| | Total | 33.2184 | |

As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.

- 3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years. बिन्दु संख्या—3 के अनुसार परियोजना में कासगंज वन प्रभाग में प्रभावित हो रही 0.7528 हे० वन भूगि के दोगुने क्षेत्रफल पर कासगंज वन प्रभाग की कासगंज वन प्रभाग में चयनित 1.506 हे० वन भूगि में दस वर्षों तक रखरखाव सहित क्षतिपूरक कुमारोपण हेतु २० 8,07,804 /-- /आठ लाख सात हजार आठ सी धार / की धनराशि E-Payment Portal के मध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जगा कराकर रसीद (ऑन-लाइन घालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।
- 4. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 16.5761 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.11) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard. बिन्दु संख्या—04 के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही 0.7528 है0 वन भूमि के एन० पीठ पीठ की धनराश के रूप में 4/1/25300 (बार साख इकतार हजार दो सो तिरंपन रूठ) की धनराश E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा, मई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (ऑन-लाइन घालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। ()

- Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
- User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
- All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal
- The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
- 9. The User agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicine plants) in right of way under the transmission line and deposit the cost for execution of the scheme to the State Forest Department. किन्तु संख्या—09 के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो नहीं 0.7528 है0 वन भूगि पर बीने/औपधीय पीधारोपण एवं सत्तके दस वर्षों तक स्वरखाव हेतु कासगंज बन प्रभाग के 1. कासगंज अकनेस रेलवे टेक ग्राम बांकमेर व बरेली—मधुरा मार्ग (SH-33) मार्ग किमी0 5354, 2. नहर एल0जी0सी0 किमी0 53 में 64 ग्राम नवरई, 3. नहर अनूप शहर ब्रांच किमी0 184515 ग्राम किमीव कासगंज रेज में प्रयोजन 0.7528 है0 वनभूगि पर रोपण के लिये रू0 452.298/— (बार लाख वावन हजार दो सी अवानवे रू0) की धनशित E-Payment Portal के मध्यम से कैम्प, नई दिल्ली में जमा करकर रसीद (ऑन—साइन बालान की प्रति) इस कार्यालय को जमल्या करायें।
 - The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.
 - The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014.
- User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
- 13. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
- 14. No labour camp shall be established on the forest land.
- 15. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
- 16. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
- 17. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
- 18. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
- 19. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal. ()

- 20. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
- Scheme of plantation of medicinal (dwarf plants) below the transmission line in Hapur Division needs to be submitted and money for the same needs to be deposited in CAMPA.
- Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act,
 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/201 7-FC dt
 29/01/2018.
- 23. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
- The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित सभी शतों के सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

> (दिवाकर कुमार विशिष्ठ) प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज।

पत्रांक 1016 119 दिनांकित। प्रतिलिपि-निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ

प्रमागीय वनाधिकारी कानपुर देहात वन प्रभाग कानपुर देहात

प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बुलन्दशहर पत्रांक 23 \5 /14-10-1 दिनॉक, बुलन्दशहर, जनवरी, 6, , 2021

नेक में,

वरिष्ठ प्रबन्धक धाटमपुर ट्रांसनिशन लि0 644 व 644ए, कापरेटिय हाउसिंग सोसाइटी विकास नगर, कानपुर

आनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/TRANS/42524/2019

10वय-

765 कें0वी0 एकल पथ घाटम पुर-हापुड पारेषण लाइन के निर्माण हेत् कानपुर नगर वन प्रमाग की 0.624 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 33 वृक्षों/पौधों के पातन, कानपुर देहात वनप्रभाग में प्रभावित 6.0984 है0 आरक्षित वन भूमि तथा 0.4928है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं वाधक 13 वृक्षों के गातन, औरेवा वन प्रभाग में प्रभावित 3.8732 हें। आरक्षित वन भूमि तथा 0.4464हें। संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं वाधक 36 वृक्षों के पातन, इंटावा वन प्रभाग में प्रभावित 0.0324 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 0.4348हैं0 सरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 15 वृक्षों के पातन, जनपद कन्नीज में प्रभावित 0.00 हैं0, कासगंज दन प्रभाग में प्रभावित 0.7528 हैं0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं वाद्यक 49 वृक्षों / पौधों के पातन, अलीगढ वन प्रभाग में प्रभावित 0.2176है0 संरक्षित यनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 50 वृक्षों / पीधों के पातन, बुलन्दशहर वन प्रभाग में प्रभावित 0.2688 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 36 वृक्षीं/पीधों के पातन, एटा वन प्रभाग में प्रमावित 0.2624 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 43 वृक्षों / पीधों के पातन, नैनपुरी वन प्रभाग में प्रभावित 1.4216 है0 संरक्षित वनमूमि एवं 0.8184 हैं0 फॉरेस्टरी डिविसन रीमीनिंग (जंगल दाक) के गैर वानिकी प्रयोग एवं दाघक 25 वृद्यों / पौधों के पातन तथा हापुड वन प्रभाग में प्रभावित 0.8345 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रवोग एवं बावक 08 कुती/ पौद्यों के पातन अर्थात कुल 16.5761 है0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बादक 306 वृक्षों/पीद्यों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरणवन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या-कवी/ यू०पी0/04/169/2020/एफ०सी0/1109 दिनांक-24.12.2020

गहोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कितमय शर्तों के अधीन री.हान्तिक स्वीकृति प्रदान की भयी है। से.हान्तिक स्वीकृति में दी गयी शर्तों के अनुपालन/आख्या तथा वनसिंध E-Payment Portal (Purivesh Portal) के माध्यम से जमा करते हुए रसीद (आन-लाइन चालान की पाठे) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Legal status of the forest land shall remain unchanged.

Compensatory a afforestation shall be taken up by the Forest Department over 33,2184 ha. degraded forest land (as detailed below) at the cost of the user agency.

| SI. NO. | Name of Forest Division | CA proposed in Area (Ha.) | Details of CA |
|------------|----------------------------|------------------------------|---|
| 1 | Kanpur Nagar | 1.248 ha. | Rampur Land Bank Tehsil-Ghatampur District Kanpur Nagar |
| 2 | Kanpur Dehat | 13.1784 ha. | Fisher Forest Block Etawah Range |
| 3 | Auraiya | 8,64 ha. | Forest Block-Mirgawan in village-Mirgawan of Tehsil-Bidhuna |
| 4 | Etawah | 1 ha. | Forest Block-Ilnour in village liknour of Chakarnagar Tehsil in Etawah, Lakhna Range |

Hanning2020

Fage 1808

| 5 | Kannauj | 0 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|----|---------------|------------|---|
| 6 | Mainpuri | 4,48 ha. | Compartment-Paharpur Van Block, Tehsil karhal |
| 7 | Etah | 0.5246 ha. | Santhari Forest Block Etah Range |
| 8 | Kashiramnagar | 1,5056 ha. | Compartment-nil, Village Bankner, Nadrai and Kinava Tehsil Kasganj |
| 9 | Alígarh | 0,4352 ha. | Compartment-nil, Village Mohshanpur of Atrauli Tehsil Aligarh Forest block Aligarh |
| 10 | Bulandshahar | 0.5376 ha. | Forest block Riwara in Village Riwara of Shikarpur Range-Bulandshahar |
| 11 | Hapur | 1.669 ha. | Forest block Riwara in Village Riwara of Shikarpur Tehsil-Bulandshahar |
| | Total | 33.2184 | |

As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.

- 3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years. इस सम्बन्ध में परियोजना में दुलन्दशहर वन प्रमाम में प्रमावित हो रही 0.2688 है0 वनभूमि के दोगुने क्षेत्रकल अर्थात 0.5378 है0 भूमि में क्षितपूरक वृक्षारोपण करने तथा 10 वर्षो तक रखरखात करने हेतु एक 2.64,269/- की धनराशि E-Payment Portal के मध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (ऑन-लाइन चालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- 4. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 16.5761 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt 11) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard. इस सम्बन्ध में परियोजना में बुलन्दशहर बन प्रमाय की प्रमावित हो की 0.2688 है0 संरक्षिय वनमूमि का सुद्ध वर्तमान मूल्य (एन० पीठ वीठ) की चनसाथ क0 1,60,269/- E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (ऑन-लाइन पालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.
- User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land
 and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the
 cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.
- All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal
- The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.

Fanning2020

- 9. The User agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicine plants) in right of way under the transmission line and deposit the cost for execution of the scheme to the State Forest Department, इस राष्ट्रच में परियोजना में बुलन्दशहर वन प्रमाग की प्रमायित हो रही 0,2688 है0 संपंदित वनमूर्ति पर पारेषण लाईन के नी<mark>ये बीने/अधिया पीची</mark> के रोपण एवं उसके दस वर्षी तक रहारखाद हेतु स्त्र 2,17,310/- की धनराजि E-Payment Portal के मान्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (ऑन-लाइन बालान की प्रति) इस कार्यालय की उपलब्ध करायें।
- 10. The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.
- 11. The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 &
- 12. User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable.
- 13. The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central
- 14. No labour camp shall be established on the forest land.
- 15. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
- 16. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
- 17. No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.
- 18. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
- 19. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project
- 20. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.
- 21. Scheme of plantation of medicinal (dwarf plants) below the transmission line in Hapur Division needs to be submitted and money for the same needs to be deposited in CAMPA.
- 22. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.
- 23. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
- 24. The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/).

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों के सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायें, ताकि दन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी किये

> प्रभावीय निदेशक. सामाजिक वानिकी प्रभाग,बुलन्दशहर।

Ranning2020

Page 1010

/ (दनाकत) प्रतिसिप-मुख्य वन रावाक/नोडल अधिकारी ७०५० लखनक को छपरोक्त रान्दर्मित एत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि वन संख्यक, मेरठ वृत्त, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर वन प्रभाग, कानपुर को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक

कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमागीय निवेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग,बुलन्दशहर।

Ranning2020

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़। प्रजांक ,230% /14-1 दिनांक, हापुड़, 16 जनवरी, 2021

नेवा मे

वरिष्ठ प्रबन्धक घाटमपुर ट्रांसमिशन लि० 644 व 644ए, कापरेटिव हाउसिंग सोसाइटी विकास नगर, कानपुर।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/TRANS/42524/2019

विषय:-

765 केंग्रेवीं) एकल पथ घाटमपुर-हापुड गारेगण लाइन के निर्माण हेत कानपर नगर वन प्रभाग की 🤉 624 हैं) संरक्षित वन भूगि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 33 वृक्षीं / पौठों के पातन, कानपुर देहात वन प्रभाग में प्रभावित 6.0964 हैं0 आरक्षित वन भूमि तथा 0.4928हैं0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बावक 13 वृक्षों के पातन, औरेया वन प्रभाग में प्रमावित 3.8732 हे0 आरक्षित वन भूमि तथा 0.4464हैं0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बावक 36 वृक्षों के पातन, इटावा वन प्रभाग में प्रभावित 0.0324 है0 आरक्षित वन भूमि तथा 0.4348है0 संरक्षित वन मूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 15 वृक्षों के पातन, जनपद कन्नीज में प्रमावित 0.00 हे0, कासमंज वन प्रमाग में प्रमादित 0. 7528 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 49 वृक्षों / गौधों के पातन, अलीगढ वन प्रभाग में प्रभावित 0.2176हें0 संरक्षित यन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बायक 50 वृक्षों / पौर्वों के पातन, बुलन्दशहर वन प्रभाग में प्रभावित 0.2689 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 36 वृक्षों / पौथों के पातन, एटा वन प्रभाग में प्रभावित 0.2624 है0 संरक्षित वन भूगि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 43 वृक्षों / पौधों के पातन, मैनपुरी वन प्रमाग में प्रभावित 1.4216 है। संरक्षित वन भूमि एवं 0.8184 हे0 फॉरिस्टरी डिक्सिनरी मीनिंग (जंगल ढाक) के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 25 वृक्षों / पीधों के पातन तथा हापुड वन प्रभाग में प्रमावित 0.8345 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 08 वृक्षों / पौथों के पातन अर्थात कुल 16.5761 हे0 वनमूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं कुल बाधक 308 वृक्षों / पीधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में I

त्तंदर्भः-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या-8वी / यू0पी0 /04 / 169 / 2020 / एफ0सी0 / 1109 दिनांक-24.12.2020

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयमतं प्रकरण के सम्बन्ध में वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु कतिपय शर्ता के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रवान की गयी है। सन्दर्भित पत्र में दी गयी शर्तों के अनुपालन हेतु बिन्दुवार निम्नलिखित धनराशि E-Payment Portal (Parivesh Portal) के माध्यम से जमा करत हुये रसीद (आन-लाइन घालान की प्रति धनराशि जमा होने की पुष्टि) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Legal status of the forest land shall remain unchanged.

Compensatory a afforestation shall be taken up by the Forest Department over 33.2184 ha. degraded forest land (as detailed below) at the cost of the user agency.

| SI. NO. | Name of Forest Division | CA proposed in Area (Ha.) | Details of CA |
|------------|----------------------------|------------------------------|---|
| 1 | Kanpur Nagar | 1.248 ha. | Rampur Land Bank Tehsil-Ghatampur District Kanpur Nagar |
| 2 | Kanpur Dehat | 13.1784 ha. | Fisher Forest Block Etawah Range |
| 3 | Auraiya | 8.64 ha. | Forest Block-Mirgawan in village-Mirgawan of Tehsil-Bidhuna |
| 4 | Etawah | 1 ha. | Forest Block-Ilnour in village liknour of Chakarnagar Tehsil in Etawah, Lakhna Range |
| 5 | Kannauj | 0 | • |
| 6 | Mainpuri | 4.48 ha. | Compartment-Paharpur Van Block, Tehsil karhal |
| 7 | Etah | 0.5246 ha. | Santhuri Forest Block Etah Range |

| 8 | Kashiramnagar | 1.5056 ha. | Compartment-nil, Village Bankner, Nadrai and Kinava Tehsil Kasganj |
|----|---------------|------------|---|
| 9 | Aligarh | 0.4352 ha. | Compartment-nil, Village Mohshanpur of Atrauli , Tehsil Aligarh Forest block Aligarh |
| 10 | Bulandshahar | 0.5376 ha. | Forest block Riwara in Village Riwara of Shikarpur Range-Bulandshahar |
| 11 | Hapur | 1.669 ha. | Forest block Riwara in Village Riwara of Shikarpur Tehsil-Bulandshahar |
| | Total | 33.2184 | |

As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.

- 3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years. बिन्दु संख्या—3 के अनुसार परियोजना में हायुड वन प्रभाग में प्रभावित हो रही 0.8345 है0 वन भूमि के दोगुने क्षेत्रफल पर बुल्दशहर वन प्रभाग में रिवाडा वन ब्लाक (बुलन्दशहर रेंज) में घंयनित 1.669 है0 वन भूमि में दस वर्षो तक रखरखाव सहित डातिपूरक वृक्षारोपण हेतु क0 6.66,722/— की धनराशि E-Payment Portal के मध्यम से कैम्पा, नई दिल्ली में जमाकरा कर रसीद (ऑन-लाइन घालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करावें।
- 4. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 16.5761 ha. forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.11) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard किन्दु संख्या-04 के अनुसार परियोजना में प्रभावित हो रही 0.8345 है0 वन भूमि के एन० पीठ बीठ की धनताश के रूप में 5.22,397,00 की धनताश E-Payment Portal के माध्यम से कैम्पा नई दिल्ली में जमा कराकर रसीद (ऑन-लाइनचालान की प्रति) इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।
- Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of
 the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert
 Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency
 shall furnish an undertaking to this effect. ভাৰতিৰ স্থান ব্য বালাৰ কাঁ!
- 6. User agency shall restrict the felling of trees to minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department. सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलम्न करें।
- All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal. सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संतम्न करें।
- The complete c ompliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector. सम्बन्धित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर संलग्न करें।
- The User agency in consultation with the State Forest Department prepare a detailed scheme for creation and maintenance of plantation of dwarf species (preferably medicine plants) in right of way under the transmission line and deposit the cost for execution of the scheme to the State Forest Department. सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
- 10. The user agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits. सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

- 11. The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest areas issued by Ministry vide letter no. 7-25/2012-FC dated 05/05/2014 & 19/11/2014. सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संसम्ब करें।
- User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable. संग्विश प्रमाण-पत्र संतरन करें।
- The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government. सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
- 14. No labour camp shall be established on the forest land,
- 15. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel. सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
- 16. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
- No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work. सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
- 18. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less. सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
- The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.
 सम्बन्धित प्रमाग-पत्र संलग्न करें।
- 20. The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India. सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
- 21. Scheme of plantation of medicinal (dwarf plants) below the transmission line in Hapur Division needs to be submitted and money for the same needs to be deposited in CAMPA. प्रस्तावित पारेषण लाईन के नीवे बोने पौदों के चेपण हेतु कृमि उपलब्ध ना होने के कारण तत्कालीन प्रमागीय वनाधिकारी द्वारा भूमि उपलब्ध न होने का प्रमण-पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हैं। पुनः प्रति संलग्न है।
- 22. Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/201 7-FC dt 29/01/2018. सम्बन्धित प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
- 23. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife. मान्य होने का प्रमाप-पत्र संलग्न करें।
- 24. The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in/). अपलोड़ कर इस कार्यालय को सूचित करें।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों के सुस्पष्ट परिपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिवत् स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके। प्रभागीय वनाधिकारी,

पत्रांक 👉 🖊 - दिनांकित।

 प्रतिलिपि—मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखन्ऊ को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि— वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानकी, मेरठ वृत्त, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।

 प्रतिलिपि—प्रभागीय वनाधिकारी कानपुर देहात वन प्रभाग, कानपुर देहात को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

> प्रभागीय वनाधिकारी, हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।

> हापुड़ वन प्रभाग, हापुड़।